ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 154-156
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-I, Issues-X YEAR- June -2018

ग्रामीण युवकों में नशाखोरी

डॉ0 राकेश गुप्ता
एसो0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, नेशनल पी0 जी0 कालेज, भोगांव– मैनपुरी (उ0प्र0) भारत

'जब कोई व्यक्ति बार–बार मादक पदार्थ लेने का आदी बन जाता है, तो इसे नशाखोरी कहते हैं। नशाखोरी हॉनिप्रद ही नहीं अपितु एक भयंकर सामाजिक बुराई भी है। अतः इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नशाखोरी के प्रमुख दुष्प्रभाव के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक रोग, दुर्व्यवहार, बेहोशी, दुर्घटनाएं, कार्य क्षमता में कमी, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, निर्धनता, बेकारी, उत्तरदायित्व निर्वाहन में कमी, वेश्यावृत्ति, चारित्रिक पतन, भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, इत्यादि अपराधों में सहायक, नैतिक पतन, आत्महत्या आदि के अतिरिक्त यह एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक बुराई है। इसके नशे में खून किए जाते हैं, घर बिकते हैं, लोग दिवालिया होते हैं, बदमाश बनते हैं, सुहागिनों के सुहाग उजड़ते हैं, मानवता नष्ट होती है, स्त्री जाति अपमानित होती हैं, नशाखोरी दुख एवं दरिद्रता को बढ़ावा देती है। नशाखोरी समाज में व्याप्त एक गंभीर व्याधि बनकर मुँह बाय खड़ी है अतः इसका विश्लेषण समाजशास्त्री परिपेक्ष में होना आवश्यक है। क्योंकि समाज में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, भांग, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, आदि मादक पदार्थों का सेवन दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में यह प्रवृत्ति ग्रामीण युवकों में अधिक पाई जा रही हैं। युवकों का इस ओर प्रवृत्त होना सामाजिक, राष्ट्रीय प्रगति एवं युवा शक्ति को प्रभावित करना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या नगरों, महानगरों मैं ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा इस व्याधि से सर्वाधिक ग्रसित हैं। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य ग्रामीण युवकों की वर्तमान परिस्थितियों एवं समस्याओं का व्यवहारिक परिचय प्रदान करना है। ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल योगदान प्रदान कर सके।"

आदिम काल से प्रा.तिक नशीले पदार्थों गांजा भांग चरस आदि तथा मदिरा सेवन के प्रचलन के साथ–साथ चिकित्सा के विकास में समाज को प्रा.तिक नशीली औषधियों का उपहार प्रदान किया है। व्यक्ति के लिए जीवन दाता इन औषधियों के सेवन से उत्पन्न संकट से आज सारा विश्व जूझ रहा है। विश्व के साथ ही साथ भारतीय महानगरों, नगरों, कस्बों और अब तो गांव में भी मादक द्रव्य व्यसन का जहर विशाल वटवृक्ष की तरह बढ़ता जा रहा है। जो समाज के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो रहा है। यदि हम वर्तमान युग को मादक पदार्थों का युग कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान में सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। कुछ व्यक्ति बीमारियों के उपचार के लिए तो कुछ व्यक्ति नए अनुभव के लिए, तो कुछ व्यक्ति रोमांचक अनुभूति के लिए मादक पदार्थ लेकर नशा करते है। विगत कुछ वर्षों से समाज में इन जीवनदाता औषधियों का प्रयोग इस तरह होने लगा है की इस का विघटनात्मक प्रभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अल्फ्रेड लिण्ड स्मिथ1' ने इस संदर्भ में लिखा है कि" स्वयं को असामान्य समझने वाले व्यक्ति, असामान्य बनने की लालसा में मादक औषधियों की गिरत में फसते जा रहे है।" मादक द्रव्य व्यसन वर्तमान समाज के लिए गंभीर संकट और चुनौती बनता जा रहा है। यह केवल वनस्पतिक, मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय समस्या है वरन एक गंभीर विश्वव्यापी सामाजिक समस्या है। क्योंकि जब चिकित्सकीय समस्या की बात की जाती है तो इसका संबंध चिकित्सक और मरीज से ही होता है। लेकिन नशाखोरी की समस्या के निदान के लिए तो एक साधारण व्यक्ति ही नही वरन चिकित्सक, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक आदि सभी चिंतनशील तथा संघर्षरत है।

नशाखोरी से व्यक्तिगत रूप से भी समाज में बहुत सी वैधानिक तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मादक पदार्थ सेवन करने वाला व्यक्ति सड़क दुर्घटना एवं इन पदार्थों की प्राप्ति हेतु चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे आपराधिक व्यवहार भी करने से नहीं चूकते नशे के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रयोग से निम्न सामाजिक समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे–चारित्रिक पतन, घरेलू हिंसा एवं मारपीट, सड़क दुर्घटना एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं, बच्चों का लालन–पालन सही ढंग से न कर पाना, वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन दुखमय, कार्य क्षमता में कमी, अनैतिकता में वृद्धि, निर्धनता में वृद्धि, बढ़ती आपराधिक गतिविधियां, असामान्य व्यवहार इत्यादि। नशाखोरी समाज में व्याप्त एक गंभीर व्याधिकीय समस्या बनकर मुंह बाये खड़ी है। अतः इसका विश्लेषण समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में होना आवश्यक है। क्योंकि समाज में शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, भांग, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन आदि मादक पदार्थों का सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान समय में यह

अनुरूपी लेखक

प्रवृत्ति ग्रामीण युवकों में अधिक पाई जा रही है। ग्रामीण युवकों का इस ओर प्रवृत्ति होना। सामाजिक राष्ट्रीय प्रगति एवं युवा शक्ति को दुश्प्रभावित करना एक गंभीर समस्या है। इसके पीछे पाश्चात्य संस्ति का प्रभाव, आधुनिकता, निराशा, असीमित आकांक्षाएं, दिवास्वप्न ,आधुनिकता, कुंठित भावनाएं, भौतिकतावाद ,दिशा विहीन आदर्श आदि मूल कारण है।

प्रो0 जानसन2 (1973) के अनुसार "नशा वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति नशीला पदार्थ लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है। जिससे कि वह लेना आराम करने के पश्चात उसे बंद करने में असमर्थ रहता है।"

सर्वश्री मदान3 (1992) ने नशाखोरो का वर्गीकरण करते हुए लिखा है–यह प्रायः दो प्रकार के होते हैं–(1) एक वे जो नशा करने के बाद भी अपने शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रण में रखते हैं इन्हें संयत नशाखोर (2) दूसरे वे जो रोज नशा करते हैं और नशा करके सुध बुध खो बैठते हैं। आवती नशा खोर कहलाते हैं! एनशाखोर आदत के रूप में प्रतिदिन नशा करते हैं और इतना नशा करते हैं कि वे अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाते तथा बीबी ,बच्चे, परिवार, मित्र तथा समाज के लिए भी समस्या बन जाते हैं। इस प्रकार नशा करने की एक ऐसी बुरी आदत है कि सभी मुक्त कंठ से आलोचना करते हुए इनसे नफरत करते हैं। ऐसे नशाखोरो के स्वास्थ्य को तो खतरा पैदा होता ही है। समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है। इस प्रकार नशाखोरी व्यक्ति, परिवार, तथा समाज के लिए अभिशाप है।

भारत में नशाखोरी की समस्या ने अवैध रूप से शराब को बनाने को बढ़ा दिया है। स्वतंत्रता के उपरांत देश में सैकड़ों दुखद घटनाएं घटित हुई है! जिनमें हजारों व्यक्ति अवैध रूप से निर्मित मदिरा के पीने से अकाल मौत को प्राप्त हुए है। नकली शराब सुरा के काल के ग्रास सदैव निर्धन व्यक्ति होते हैं!

ग्रामीण युवको में नशाखोरी सम्बन्धित पूर्व में हुए क्षेत्रीय एवं अनुभाविक अध्ययनों के निष्कर्ष–

1. सर्वश्री देव और जिंदल (1995) द्वारा पंजाब के गांव में किए गए अध्ययन में 15 वर्ष से ऊपर कि आयु वर्ग के वयस्कों में 74: में शराब का सेवन करने की आदत पाई गई तथा 26: निदर्श आपके मादक पदार्थों के सेवन से नशा करने वाले पाए गए है।

2. सर्वश्री गुरमीत सिंह ने (1978) में पंजाब के कुछ गांव में किए गए नशावृत्ति संबंधी अध्ययनों में पाया गया की 14: मादक पदार्थों का सेवन करते थे। जिसमें 40: तंबाकू का, 26: शराब का, 18: अफीम का और 10: गॉजा व भांग का।

3. सर्वश्री सेठी और त्रिवेदी ने (1971) में 10 वर्ष से ऊपर की आयु की लगभग 2000 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले 8 गांव के सर्वेक्षण में पाया कि द्रव्य सेवन की दर 25: थी। 82: में शराब का सेवन, 16: में गांजा, चरस, भांग का उपयोग तथा 11: में अफीम का सेवन पाया।

4. गुप्ता पी0 सी0 नेसन (1995) में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद का एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन करके पाया कि एटा जनपद में घटित अपराधों में 61: अपराधी शराब के प्रयोग करता पाए गए, जो प्रायः देषी (कच्ची) शराब का इस्तेमाल करने वाले पाए गए यह अध्ययन ग्रामीणांचल पर आधारित था।

5. सर्वश्री वरघीज तथा वेग द्वारा सन 1972 में पश्चिम बंगाल के एक गांव में मादक द्रव्यों के सेवन पर क्षेत्रीय अध्ययन किया गया और पाया कि शराब व्यसन मात्र 10: और 15: के बीच मामलों में पाया गया लेकिन अन्य नशीली पदार्थों (भॉग, गांजा, चरस) का सेवन 23: प्रकरणों में देखा गया। गुटका खाने की प्रवृत्ति 37: में पाई गई।

6. पंजाब में सन 1976 में तीन सीमावर्ती जिलों (अमृतसर, फिरोजाबाद तथा गुरदासपुर) के छः विकास खण्डों में मोहन, प्रभाकर और शर्मा ने 15 वर्ष से ऊपर आयु वाले 3600 व्यक्तियों की कुल जनसंख्या से अधिक वाले गांव में 1276 घरों का अध्ययन किया था, उसके निष्कर्ष इस प्रकार रहे।

– अध्ययन किए गए घरों में से 18: में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। 60: घरों में एक व्यक्ति, 16: में दो व्यक्ति, 6: में 2 से 3 व्यक्ति थे।

– पुरुषों द्वारा सेवन करने वाला मादक द्रव्य 50: मामलों में शराब था, 19: में तंबाकू, 6: में अफीम, 1: में गांजा, भांग व चरस। (महिलाओं में 15 वर्ष से ऊपर आयु और विवाहित) 4: मामलों में तंबाकू, 1: में शराब, 1: में पीड़ा नाशक द्रव्य, 0.5: में शांति प्रदान करने वाले मादक द्रव्य तथा 0.5: में अफीम का सेवन पाया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजों में शराब पीने को मर्दानी क्रिया मानते हैं। यदि देव, गुरमीत सिंह, सेठी तथा मोहन द्वारा किए गए शोध अध्ययनों पर गंभीर चिंतन किया जाए तो ग्रामीण समाजों में सबसे अधिक सेवन देषी शराब का, इसके बाद तंबाकू तथा भांग व अफीम का मिलता है। गांजा व चरस का उपयोग 1: से 2: मामलों में मिला है।

सक्सेना नरेश5 (1997) "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाजों में नशे का बढ़ती प्रवृत्ति कर खेद व्यक्त करते हुए लिखा है कि सरकार तथा उसकी आबकारी नीतियां नशाखोरी को उत्साहित कर रही है। जगह–जगह गांव–गांव तथा कदम–कदम

पर 'शराब के ठेके' नशाखोरो की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। जिससे नैतिक पतन होने के साथ–साथ घर उजड़ रहे है। ग्रामीण निर्धन, कंगाली के शिकार हो रहे है। उत्तरोत्तर बढ़ते अपराध, बलात्कार तथा घरेलू हिंसा इस समस्या के ही परिणाम है।"

"आशियाना"6 'मादक द्रव्य व्यसन पुनर्वास केंद्र' गोल मार्केट नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी (जनवरी 7, 2008) का निष्कर्ष था कि– 'स्वयंसेवी संगठनों' तथा पारिवारिक सहयोग से नशाखोरी का उपचार संभव है। अतः नशाखोरी के नियंत्रण हेतु कार्यरत सामाजिक संगठनों एवं पुनर्वास केंद्रों को इस उन्मूलन हेतु अपेक्षित आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। वही महिला संगठनों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। सभी राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कमिश्नर, केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, केंद्रीय पुलिस संगठन आदि को कानूनों को सख्ती से पालन करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए जाएं ताकि मादक पदार्थ सेवन करता एवं बेचने व व्यापार करने वाले लोग पकड़े जा सके, साथ ही नशाखोरी को सर्वप्रथम समाज विरोधी कार्य माना जाना चाहिए, क्योंकि नशाखोर स्वयं को, परिवार को तथा समाज को नुकसान पहुंचाते है।"

उपर्युक्त विवेचनों से स्पश्ट है कि नशावृत्ति के विरुद्ध जन जागृति के साथ–साथ नशाखोरों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसे व्यक्तिगत रोग मानकर ऐसे ग्रामीण युवकों के चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक उपचार किए जाने चाहिए और अंत में ऐसी सामाजिक व सांस्तिक बुराइयों को दूर किया जाए, जिसके कारण कुंठित व निराश होकर नशाखोर हो जाते है। इस नशावृत्ति का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके विरुद्ध कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर कार्यवाही की जाए, क्योंकि नशावृत्ति की समस्या एकाकी अर्थात व्यक्तिगत अथवा परिवार की ना होकर सम्पूर्ण समाज की है। जिससे हम या आप किसी भी प्रकार से पृथक नहीं समाज, सरकार और प्रशासन अभी भी इस असाध्य खतरे से बेखबर है। यदि अभी भी नशाखोरी और नशीले पदार्थों के बढ़ते संचालन के विरुद्ध अभियान छेड़ कर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आगे आने वाले दिनों में अधिकांशतः व्यक्ति नशीले पदार्थों के सेवन के मकड़ जाल में फंस चुके होंगे, जाने अनजाने में ग्रामीण युवक इस विनाशकारी रोग से ग्रसित हो चुके है, जरूरत है सिर्फ समय रहते जागने की कुछ नशा मुक्त केंद्र से जानकारी प्राप्त हुई है की नशाखोरी को नशा करने से रोक पाना तभी संभव हो सकेगा। जब उसे ऐसा करने के लिए नैतिक बल प्रदान किया जाए तथा स्वैच्छिक संगठनों को संसाधन मुहैया कराया जाए। समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है की नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं यह महसूस करे की नशा का प्रभाव हमेशा हानिकारक होता है। जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालता है। युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन करने के बारे में व्याप्त भ्रम को दूर किया जाना ही हमारा नैतिक कर्तव्य एवं दायित्व है। युवकों को नशीले पदार्थों के सेवन से न तो आनंद ही प्राप्ति और न तनाव से मुक्ति और न ही शारीरिक, मानसिक, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अपितु तन ,मन ,धन सब बर्बाद हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्फ्रेड लिण्ड स्मिथ – (1998) द ड्रग ऐडिक्ट एस0ए0 साइकोपैथ, अमेरिकन सोशियोलाजिकल रिव्यु, न्यूयार्क।
2. जानसन ई0एच0 – (1973) सोसल प्राबलम्स ऑफ अरबन मैन, दि डार्सी प्रेस होमबुड इलिनोइस, पृष्ठ–619।
3. मदन जी0आर0 – (1992) भारतीय सामाजिक समस्याऍः मादक द्रव्य व्यसन, विवेक प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ–144।
4. राम अहूजा – (1994) सामाजिक समस्याएंः मद्यपान, ावत प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ–355।
5. सक्सेना नरेश – (1997) उ0प्र0 के ग्रामीणों में मद्यपान की बढ़ती प्रवृत्ति, प्रकाशित शोध पत्र, सामाजिक सहयोग, राष्ट्रीय शोध पत्रिका उज्जैन (म0प्र0) दिसम्बर,पृष्ठ–27।
6. (2008) 'आशियाना' मादक द्रव्य व्यसनः नियन्त्रण एवं पुनर्वास केन्द्र इ–853, ग्रेटर कैलास–2 नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी जनवरी 7 (सारांषिकाः पृष्ठ, 8–9)।

*****